भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: †*128

उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

शिक्षा का अधिकार

†*128. श्री एम.के. राघवनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में सभी निजी विद्यालयों को कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिये आवंटित करना अनिवार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विशेषकर शहरों में सीबीएसई-आधारित अधिकांश विद्यालय इस अधिदेश का पालन नहीं करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय समस्याएं इस अधिनियम के उपबन्धों को लगातार आघात पहुंचा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि विद्यालय विभिन्न प्रकार की बहाने-बाजियों से पैसा लेते रहते हैं और यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का 1 कि॰मी॰ संबंधी उपबन्ध की बजाय क्षेत्र संबंधी परिसीमाओं को आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशों हेतु एक सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

'शिक्षा का अधिकार' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एम.के. राघवन द्वारा दिनांक 01.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 128 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 01 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। यह अधिनियम 06 - 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है।

अधिनियम की धारा 12 सभी निजी सहायता प्राप्त, विशेष श्रेणी स्कूलों और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्गों और लाभ वंचित समूह के बच्चों को प्रथम कक्षा की संख्या के कम से कम 25% तक प्रवेश दिए जाने और प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को अनिवार्य बनाता है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12(2) के तहत उन स्कूलों को जो धारा 12(1)(ग) में यथा निर्दिष्ट नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। राज्य द्वारा, स्कूल को उसके द्वारा किए व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति बच्चा किए गए व्यय की सीमा तक या बच्चे से ली गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, उस रीति से की जाएगी, जैसाकि निर्धारित की गई है। बशर्ते कि, भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाओं के नि:शुल्क या रियायती दर पर प्राप्त किए जाने के कारण बच्चों की विनिर्दिष्ट संख्या को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है, तब वह स्कूल उन बाध्यताओं की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(ख) : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा आयोजित करने वाला एक निकाय है, जो बोर्ड के परीक्षा और संबंधन उप-नियमों में निर्धारित मानकों को पूरा करने पर स्कूलों को कक्षा Xवीं और XIIवीं पाठ्यक्रम के अंत में प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन से संबंधन प्रदान करता है। सीबीएसई के तहत संबद्ध स्कूल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं। तथापि, बोर्ड ने आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और बोर्ड के संबंधन उप-नियमों के अनुपालन के लिए 31.5.2018 को परिपत्र सं.7/2018 जारी किया है। परिपत्र के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:-

- स्कूल के पास संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार से मान्यता प्रमाणपत्र की वैध प्रति होनी अपेक्षित है, जैसाकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18(1) में उल्लेख किया गया है।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि आरटीई अधिनियम, 2009 और राज्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित सभी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ग) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पूर्व के सर्व शिक्षा अभियान जो नई एकीकृत योजना समग्र शिक्षा के तहत जारी है, के मानकों के अनुसार, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% प्रवेश के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। यह प्रावधान 2014-15 से प्रभावी है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7(1) के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु निधि प्रदान करने का संयुक्त दायित्व है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 7(5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त राशि के मद्देनजर इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु, निधि प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(घ) से (च) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकतर स्कूल राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, अत: यह संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकार पर है कि वह आरटीई अधिनियम, निर्धारित पड़ोस के मानकों और प्रतिपूर्ति हेतु पात्र प्रति छात्र लागत सहित स्कूलों में प्रवेश हेतु व्यवस्था का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

*****